कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुजफ्फरनगर

सूचनाओं का स्वैच्छिक प्रकटन धारा 4(1) बी तथा धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4)

क्र0 सं0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	2	3
1.	संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्तव्य।	इस संगठन का नाम पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है तथा इसका कार्यालय भूमि तल विकास भवन मुजफ्फरनगर में स्थित हैं। इस संगठन द्वारा राज्य तथा भारत सरकार द्वारा संचालित गरीबो से सम्बन्धित योजनाओं जैसे, शादी/बीमारी अनुदान आदि का संचालन प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हैं।
2.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	इस संगठन में एक पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी व एक कनिष्ठ लिपिक कार्यरत हैं। संगठन के अध्यक्ष के रूप में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वाहन करते हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार कार्य किया जाता हैं।
3.	लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियो द्वारा अपने कृत्यो के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का पद सृजित हैं। जिसके नियंत्रण में रहकर समस्त कर्मचारियों द्वारा शासकीय कार्य का सम्पादन निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाता हैं। संगठन राज्य सरकार एवं भारत सरकार के प्रचलित नियमो के अन्तर्गत कार्यवाही करता हैं।
4.	नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यो से परामर्श के लिए या उसके प्रतिनिधित्व के लिये विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना।	सभी योजनाओं का नीति निर्धारण शासन/निदेशालय स्तर से किया जाता हैं।
5.	दस्तावेजो जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, श्रेणियों के अनुसार विवरण	संगठन द्वारा क्रियान्वित योजनाओ से सम्बन्धित पंजिका एवं पत्रावलियाँ।

6.	बोर्डो परिषदो, समितियों और अन्य निकाओं का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकाओं की बैठक जनता के लिये खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी।	कोई नही
7.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियां	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी।
8.	निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायितव के स्तर सहित)	अभिलेखों शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों एवं नियमो के आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए निर्णय लिया जाता हैं।
9.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी–1, कनिष्ठ लिपिक–1
10.	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित वेतन पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया जाता हैं।
11.	प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना सहित)	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संचालित समस्त योजनाओं हेतु धन का आवंटन शासन / निदेशालय स्तर से किया जाता हैं। शासन द्वारा निर्गत मार्ग निर्देशो के अनुसार ही इनका व्यय आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराकर किया जाता हैं।
12.	अनुदान / राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मलित हैं।	इस संगठन द्वारा अनुदान कार्यक्रमों यथा शादी / बीमारी अनुदान योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित अनुदान राशि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दी जाती हैं।
13.	रियायतों, अनुज्ञा पत्रो तथा प्राधिकारो के प्राप्तिकर्ताओ के सम्बन्ध में विवरण	संगठन द्वारा इस प्रकार की कोई छूट उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।
14.	कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम	संगठन राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करता हैं।
15.	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरें	संगठन द्वारा समस्त सूचनाये संकलित कर फैक्स / हार्ड प्रति के रूप में उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं, तथा शासन के निर्देशानुसार प्रचार–प्रसार किया जाता हैं।

16	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण किसी पुस्तकालय या वाचनालय की यदि लोक उपयोग के लिये व्यवस्था की गई हो तो उसका भी विवरण	नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचनायें एकल खिड़की के माध्यम से ससमय उपलब्ध करा दी जाती हैं।
17.	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जायें	कोई नही।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी।
मुजफ्फरनगर